

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42451/2019

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- i राज्य/संघ शासित क्षेत्र :- छत्तीसगढ़
- ii जिला :- उत्तर बस्तर कांकेर
- iii वन प्रभाग :- वन मण्डल कांकेर, परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना

i. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टर में)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	आर.एफ रकबा (हे.)	पी.एफ रकबा (हे.)	ओ.ए रकबा (हे.)	कुल वनभूमि रकबा (हे.)
1	चारामा	0.037	0.537	0.537	1.111
2	कांकेर	0.038	-	0.056	0.094
3	नरहरपुर	0.653	0.143	1.587	2.383
4	सरोना	0.410	0.067	0.079	0.556
योग		1.138	0.747	2.259	4.144

- v वन की कानूनी स्थिति :- आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन क्षेत्र
- vi हरियाली का धनत्व :- < 0.6
- vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर. एल. एफ. आर. एल. - 2 मीटर पर परिगणना और एफ. आर. एल. - 4 मीटर भी संलग्न की जाए) :- प्रकरण में सड़क के समान्तर ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाई जावेगी, किसी प्रकार की वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी।
- viii भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । :- परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना प्रस्तावित स्थल सड़क के समान्तर समतल भूमि होने के कारण मृदा भू-क्षरण होने की संभावना नहीं है।
- xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी । :- परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर ,सरोना में ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित भूमि वन भूमि का ही भाग है।
- x क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबंधित की जाये) :- नहीं।

- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें । :- नहीं ।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है । यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें । :- प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल स्थित नहीं है ।
- 08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है । :- आवेदक विभाग द्वारा ऑप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु मांग की गई कूल रकबा 4.144 हे. अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ।
- 09 क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं । :- नहीं ।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा –
- i प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार :- भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./एफ. न. 11-9-98 एफ.सी दिनांक 16.06. 2011 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है ।
- ii प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर / अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र । :- आवश्यक नहीं है ।
- iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि :- आवश्यक नहीं है ।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिब्यय । :- आवश्यक नहीं है ।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए) :- आवश्यक नहीं है ।
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न है । पेज क्र.....
- 12 विभाग / जिला प्रोफाइल :-
- i जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल :- वन मण्डल का भौगोलिक क्षेत्र 2686.695 वर्ग कि.मी. है ।

- ii जिले का वन क्षेत्र :- वन मण्डल का कुल क्षेत्रफल 705.27 वर्ग कि.मी. है।
- iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- वन मण्डल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हैं. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
- iv 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - :-
- क दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- वन मण्डल अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध अब तक 1389.365 हैं. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
- ख वनेतर भूमि पर :- नहीं।
- v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - :-
- क वन भूमि पर :- विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध रोपित किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है।
- ख वनेतर भूमि पर :- वनेत्तर भूमि पर वन मण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है।
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश :- प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्राजेक्ट्स लिमिटेड संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स रायपुर छ.ग. द्वारा परिक्षेत्र चारामा, कांकेर, नरहरपुर, सरोना के ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने से ग्रामों में दूरसंचार की आधुनिकतम सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ (एस.टी.डी, इन्टरनेट, फैंक्स, ई-मेल इत्यादि) की सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी। जिसमें देश के हर कोने के लोग दूरसंचार के माध्यम से जुड़ जायेंगे। ग्रामीण स्तरीय लोगों तक दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध होने पर गावों के लोगो में जागरूकता आएगी तथा लोग दूरसंचार/मीडिया के माध्यम में होने वाले घटनाक्रम की जानकारी त्वरित पा सकेंगे। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :-

22/2/2020

स्थान :-

कांकेर

वन मण्डलाधिकारी

कांकेर वन मण्डल कांकेर